भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय कमेटी

प्रेस विज्ञप्ति

9 जनवरी, 2018

तीन तलाक बिल हिन्दू फासीवादी ताकतों की दबदबा को दर्शाती है, मुसलमान लोगों के मनोभावों को नीचे दिखाती है!

ब्राह्मणीय हिन्दू प्रभुत्ववाली विचारधारा से लैस भारतीय शासक वर्गों ने 1947 में सत्तांतरण से लेकर, देश में 15 फीसदी आबादी वाली मुसलमान जनता के साथ दूसरी श्रेणी के नागरिकों के रूप बरताव कर रहे हैं। 1947 से लेकर अब तक बीते 70 वर्षों में हिन्दू धर्मांदों द्वारा अंजाम दिए गए - 1984 में तीन हजार सिखों का हत्याकाण्ड, 2002 में दो हजार से अधिक गुजरात मुसलमानों का हत्याकाण्ड जैसे नरसंहारों में लाखों लोगों के जाने गए थे। उनकी सम्पत्ति नुकसान होने से बेघर हो गए थे। कई लोग अत्याचारों का शिकार होकर अपमानजनक ढंग से जीवन बिता रहे हैं। इसमें मुसलमान लोग ही अधिक संख्या में है। परिणामस्वरूप मुसलमान लोग दिन-रोज डर के साये में अपना जीवन बिता रहे हैं। यानी कांग्रेस हो या भाजपा, सत्ता में जो भी पार्टी हो, हिन्दू धर्मांदों के हमले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे हालातों में 2014 में हिन्दू फासीवादी के रूप में कुख्यात मोदी के नेतृत्व में हिन्दू फासीवादी ताकतें सत्ता में काबिज होने से लेकर मुसलमान लोगों पर विभिन्न तरीकों से हमले और तेज हो गए। ये फासीवादी ताकतें हिन्दू राष्ट्र को स्थापित करने के लक्ष्य से गोरक्षा, घर वापसी, लव जिहाद, देशभक्ति, मनुवाद के नाम से बीते तीन वर्षों से मुसलमान, इसाई, दलित, आदिवासी, महिलाओं, छात्रों आदि तबकों के लोगों पर हमले करते हुए, देश में अपना दबदबा को कायम करने के लिए आक्रामक रूप से बढ़ रहे हैं। इन फासीवादी ताकतों की दबदबा को दर्शाते हुए, मुसलमान लोगों के मनोभावों को नीचे दिखाते हुए साजिशपूर्ण तरीके से ही तलाक-अल-बिदात बिल को सामने लाया गया है। हमारा पार्टी भाकपा (माओवादी) का मानना है कि मुसलमान लोगों सहित सभी उत्पीड़ित वर्ग और तबकों को समर्थन देकर इस तरह के सभी हमलों का मुकाबला करना और उन्हें हराना ही आज इस देश के उत्पीड़ित वर्गों, तबकों, उत्पीड़ित राष्ट्रों, जनवादी और धर्मनिर ताकतों के सामने एक कर्तव्य के रूप में खड़ी है। उनसे हमारी पार्टी अपील करती है कि इस कर्तव्य को निभाने के लिए आगे आएं।

2017 शीतकालीन संसदीय संत्र में मोदी सरकार द्वारा 'मुसलमान पुरुष अपनी पत्नी से विवाव संबंध तोड़ने के लिए तीन बार तलाक कहने की इस्लाम परम्परा को अपराध कहलाने वाला' बिल को सामने लाया था। लोकसभा में यह बिल पारित होने के बावजूद राज्यसभा में नहीं हो पाया। इस बिल के बारे में संसदीय पार्टियों के बीच हल्के मतभेज के सिवाय कोई मौलिक मतभेद नहीं हैं। सभी संसदीय राजनीतिक पार्टियां मुस्लिम महिला-पुरुषों के जीवन से जुड़े इस गम्भीर मुद्दे को सिर्फ भरण-पोषण मामले तक सीमित कर झगड़े करना संसद का 'अखाड़ा' के लिए कोई नई बात नहीं है। यह देश की जनता के, खासकर, मुस्लिम जनता के मौलिक समस्याओं से भटकाने की वोट बैंक राजनीति के सिवाय और कुछ नहीं है।

देश में हर दस मुस्लिम महिलाओं में से एक, तीन तलाक प्रथा से उत्पीड़ित है- ऐसा दावा करने वाली मोदी सरकार मुसलमान जनता के मौलिक समस्याओं को सरासर नजरअंदाज कर रही है। दरअसल इस देश में मुसलमान लोग जिन दूभर हालातों जीने के लिए मजबूर है, 2006 में न्यायादीश राजेन्द्र सचर कमीशन द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट देखने से पता चलेगा। देश की औसतन साक्षरता से तुलना करें, तो उनकी बच्चों की पढ़ाई न की बराकर है। 2011 के जनगणना के मुताबिक 6-14 वर्ष के मुस्लिम बच्चों में से एक चौंथाई भाग स्कूल जाने की हालात में नहीं है। 17 फीसदी से अधिक बच्चे मेट्रिक भी पास नहीं कर पा रहे हैं। मुस्लिमों में सिर्फ 4.9 फीसदी ही नौकरी कर रहे हैं। वे नौकरियां भी निम्न श्रेणी के हैं। आईएएस, आईपीएस जैसे भारतीय सेवाओं में उनकी मौजूदगी तीन फीसदी से ज्यादा नहीं है। पुलिस नौकरियों में 6 फीसदी हैं। इस तरह क्षेत्र जो भी हो, उनके साथ भेदभाव जारी है। इन सभी को नजरअंदाज कर तीन तलाक कानून लाने द्वारा हिन्दुत्व शक्तियां अपनी दबदबा को दर्शाना चाहती हैं। उस दिशा में अगले लोकसभा बजट सत्र में अध्यादेश लाने तैयारी कर रही है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि एकतरफा मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी के साथ एक ही बार तीन तलाक बोलना अप्रजातांत्रिक है। तलाक-अल-बिदात कई मुस्लिम देशों में बहुत पहले ही प्रतिबंधित कर दिया गया था। 1964 में ही पाकिस्तान में तीन तलाक प्रथा को प्रतिबंध किया गया था। मिश्र, सूडान, जोर्डान, सिरिया, इराक और मोराको जैसे मुस्लिम देशों में भी यह कहकर इसे विरोध कर रहे हैं कि तीन तलाक प्रथा को खुरान में कोई जगह नहीं है। उसी तरह इस्लाम में सुन्नी तबके से संबंधित अल-ए-हुर्रियत भी तलाक-अल-बिदत को विरोध कर रही है। लेकिन हमारे देश में मुस्लिम

जनता अपने धार्मिक विश्वासों के मुताबिक तीन तलाक प्रथा को मान रहे हैं।

लेकिन मुस्लिम समाज में जनवादी विचार रखने वाली महिलाएं तीन तलाक प्रथा के खिलाफ बहुत अर्से से विभिन्न तरीकों से लड़ रहे हैं। विभिन्न जनवादी और धर्मनिरपेक्ष शक्तियां इन आंदोलनों का समर्थन कर रहे हैं। इन आंदोलनों को हमारी पार्टी समर्थन करती है। लेकिन तीन तलाक प्रथा को रद्द करने की मांग को जनता के आकांक्षाओं के मुताबिक खुद जनता ही सुलझाने के लिए प्रयास करना चाहिए। ब्राह्मणीय हिन्दूत्व शासक वर्ग द्वारा इस समस्या को जनवादी तरीके से हल नहीं किया जा सकता। जनवादी प्रेमियों और धर्मनिरपेक्ष शक्तियों का समर्थन से मुस्लिम महिलाएं अपनी आंदोलन को और व्यापक करना होगा और इसके जरिए अंधविश्वासों बाहर लाने के लिए जनता को जागरूक करना होगा। जनवादी विचार और संस्कृति को विकसित करने के जरिए ही महिलाओं को दूसरी श्रेणी नागरिक दर्जा देने वाली पितृसत्तात्मक विचारधारा से बाहर लाने की तरह जनता को जागृत करना संभव होगा। सिर्फ इसी तरह महिलाओं के जनवादी स्वतंत्रता और अधिकारों को हनन करने वाली तीन तलाक जैसे समस्याओं को जनता खुद स्वतंत्र रूप से हल कर सकते हैं।

साम्राज्यवादियों के बल पर देश के शासक वर्ग – दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग और बड़ा सामंत वर्ग – देश में धर्मनिरपेक्षिता और समाजवाद को जपते हुए अर्धऔपनिवेशिक और अर्धसामंती व्यवस्था को कायम रखकर देश की विकास के लिए रोड़ा बने हुए हैं। जनता को राजनीतिक, आार्थिक, सामाजिक और सास्कृतिक रूप से कुचलने के लिए एक हथियार के रूप में धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। धर्म जो भी हो, पुरुषप्रधान विचारधारा को ऊंचा उठाते हुए महिलाओं को दूसरी श्रेणी नागरिकों का दर्जा प्रदान करता है। ऐतिहासिक तौर पर सभी धर्म शोषक वर्गों की सेवा में लगी हुई है और विकास विरोधी है। वे जनता के अंदर भाववाद दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर, उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण पनपने में रुकावट बनी हुई हैं। मुस्लिम महिलाओं को अन्याय हो रहा है – ऐसा कहते हुए हिन्दू फासीवादी घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, पर, मनुधर्म शास्त्र से चकनाचूर होने वाली हिन्दू महिलाओं के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। धर्म जो भी हो, बच्चियां जन्म से लेकर मरने तक महिलाओं को पुरुष के गुलाम के रूप में बरताव करती है। देश में अभी भी बड़े पैमाने पर जारी बालविवाह, कन्याभ्रूण हत्याएं, दहेज हत्याएं, इज्जत के हत्याएं, क्रूर गृहहिंसा आदि के लिए विभिन्न धर्मों की पुरुषप्रधान विचारधारा ही मुख्य जिम्मेदार है। देश में झूठी संसदीय मंचों पर इन मुद्दों पर जितने भी कानून बनाने से भी वे सब सिर्फ जनता की आंसूपोंछने तक ही सीमित है। आज तीन तलाक प्रथा पर प्रस्तावित कानून भी मुस्लिम महिलाओं के सिर्फ आंसूपोंछने के सिवाय और कुछ नहीं है।

उत्तराखण्ड के सैरा बानो, राजस्तान के अफ्रीन रहमान, पश्चिम बंग के इम्रत जहान सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल करने के वजह से रोशनी में आए हैं। लेकिन ऐसे लोग अनगिनत है। मनु जैसे पितृसत्तात्मक–पुरुषप्रधान विचारधारा से लिप्त हिन्दू, इस्लाम, इसाई – धर्म जो भी हो – महिलाओं को जब तक दूसरी श्रेणी नागरिक के दर्जा देती है तब तक वे उसके नीचे चकनाचूर होते रहेंगे। हिन्दू विवाह कानून में सुधार लाकर पिता की सम्पत्ति में बच्ची को हिस्सा देने की बात होने के बावजूद कौन पिता उस कानून को मान्यता दे रहा है? बालविवाह और दहेज किस कानून के मुताबिक अभी भी जारी है? 2011 के जनगणना में देश में 55 लाख बालविवाह दर्ज थी। महिला अपनी गर्भ को रखना है या नहीं, के मुद्दे पर पति का अनुमति लेने का कोई जरूरत है– ऐसी फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाने के बावजूद कौन महिला व्यवहार में ऐसा कर पा रहा है? मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 12 वर्ष से कम उम्र वाली बालिकाओं पर अत्याचार कर हत्या करने के मामलों में मृत्युदण्ड देने की प्रावधान रखी गयी है– ऐसे में क्या अत्याचारों में कोई रुकावट आई है? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पति 15 वर्ष पत्नी के साथ लैंगिक संपर्क साबित करना कानूनन् अपराध है, पर हिन्दूत्व संगठन – राष्ट्र सेविका समिति (आर.एस.एस.) 'पति पत्नी पर अत्याचार करना– ये क्या होता है?' कहते हुए अपने पितृसत्तात्मक मनुवाद को प्रचार करना क्या छोड़ दिया है? हमारी देश के संविधान में प्रारूपित हिन्दू और मुस्लिम धर्म से संबंधित निजी कानूनों को उल्लंघन करते हुए सामने लायी जा रही प्रस्तावित तीन तलाक कानून की हश्र भी इससे और दूसरा नहीं होगा। कानून और कोर्टों से लोगों को मूर्ख बनाकर शासक वर्ग अपनी शासन चलाना चाहते हैं। दरअसल जनता को धर्म संबंधित अंध विश्वासों पर उन्हें जागरूक करने के सिवाय उन्हें उससे मुक्ति दिलाना संभव नहीं है। शादी और तलाक, बच्चों पर अधि कार, गर्भधारणा जैसे मुद्दों पर महिलाएं स्वतंत्रा पाना और सम्पत्ति पर अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन, कानूनों में समानता जैसे राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना इस शोषणकारी व्यवस्था में कल्पना भी नहीं कर सकते। इन सब के सिवाय सिर्फ तलाक मुद्दे को अलग करने और मुस्लिम जनता के बीच फूट डालने की हिन्दू फासीवादियों की साजिशों को निन्दा करना चाहिए और उन्हें हराना चाहिए। मुस्लिम महिलाओं की सभी जनवादी अधिकारों को ऊंचा उठाते हुए महिला–पुरुष समानता और शोषण से मुक्ति के लिए लड़ना चाहिए।

प्रिय जनता, जनवादी–प्रेमियों और धर्मनिरपेक्ष शक्तियों! ज्ञात हो, अयोध्या में रामालय निर्माण करना, समान नागरिक संहिता (कामन सिविल कोड) को अमल करना और धारा–370 को रद करना – ये पहले से ही हिन्दू फासीवादी शक्तियों के एजेंडे पर है। दरअसल पितृसत्तात्मक सामंती ब्राह्मणीय हिन्दू विचारधारा को प्रतिनिधित्व करने वाली मोदी सरकार हो, हिन्दूत्व शक्तियां हो, मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर बात करने की कोई नैतिक अधिकार नहीं है। क्योंकि, देश की आबादी में आधी हिस्सा होने वाली महिलाओं पर पितृसत्तात्मक शोषण, उत्पीड़न और भेदभाव का मुख्य स्रोत हिन्दुत्व

शक्तियां ही हैं। मुस्लिम महिलाओं के प्रति अप्रजातांत्रिक तीन तलाक प्रथा हो, इस देश में विभिन्न धर्मों से संबंधित महिलाओं पर जारी पितृसत्तात्मक शोषण, उत्पीड़िन और भेदभाव का अंत हो, इस देश के शोषक शासक वर्गों द्वारा संभव नहीं है। इसलिए, आइएं! देश में साम्राज्यवाद, दलाल नौकरशाह पूंजीपति और बड़ा सामंती वर्गों को उखाड़ कर उत्पीड़ित वर्गों पर जारी शोषण और उत्पीड़न सहित महिलाओं पर सभी तरह के भेदभाव को मिटाने के लिए देश में नवजनवादी क्रांति को सफल बनाएंगे। देश में अर्धऔपनिवेशिक और अर्धसामंती व्यवस्था को ध्वस्त कर, उसकी स्थान पर मजदूर-किसान मैत्रि के आधार पर, चार वर्गों - मजदूर, किसान, शहरी निम्नपूंजीपति, राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग - को प्रतिनिधित्व करने वाली जनवादी संघीय गणराज्यों के स्वैच्छिक महासंघ को स्थापित करने दीर्घकालीन लोकयुद्ध में आगे बढ़ेंगे।

(अभय)
प्रवक्ता,
केन्द्रीय कमेटी, भाकपा (माओवादी)